न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-338RAAJodhpur2024-130RTA223 Budharam Vs Jagaram etc
2024-279RAAJodhpur2024-113RTA223 Budharam Vs Jagaram etc

बुद्धाराम पुत्र कुम्पाराम जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर), तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. जगाराम पुत्र कुम्पाराम, जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर) तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
02. गोरधनराम उर्फ गोरखराम पुत्र कुम्पाराम, जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर) तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि

---

(02)2024-279RAAJodhpur2024-113RTA223 Budharam Vs Jagaram etc

बुद्धाराम पुत्र कुम्पाराम जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर), तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. जगाराम पुत्र कुम्पाराम, जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर) तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
02. गोरधनराम उर्फ गोरखराम पुत्र कुम्पाराम, जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर) तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री अनिल राठी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 20 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 अनवान जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सिंतबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील संख्या 130/2024 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 484 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 486 रकबा 11.13 बीघा, खसरा नंबर 492 रकबा 20.19 बीघा, खसरा नंबर 1151 रकबा 08.16 बीघा, खसरा नंबर 1151/1 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 42.15 बीघा ग्राम बड़लानगर, खसरा नंबर 1180 रकबा 28.16 बीघा ग्राम केरली के संबंध धारा 88, 53 एवं 188, आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितंबर 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित कर तहसीलदार झंवर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 130/2024 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार झंवर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 113/2024 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित गई है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में प्रतिवादीगण से जवाब लिये बिना, वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा उभय की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण बिना साक्ष्य के वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं था। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब मय काउंटर क्लेम पेश किया था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के काउंटर क्लेम को निस्तारित किये बिना ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है तथा वाद का निस्तारण कर दिया गया है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा राजस्व कर्मचारी वक्त विभाजन मौके पर भी नहीं आये है। विभाजन प्रस्ताव एवं मौका फर्द आपस में विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के विरूद्ध तैयार किये जाने तथा नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधि–विरूद्ध पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अपील संख्या 113/2024 के साथं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य–सबूत लिये तथा अपीलांट के काउंटर क्लेम का निस्तारित किये बिना निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। ततपश्चात निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह प्राप्त कर जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील संख्या 113/2024 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अदंर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 अनवान जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सिंतबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दावा मय कांउटर क्लेम पेश किया। अपीलांट द्वारा हक–हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के हक–हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार एवं मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट को सूचित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा केवल मामले को लंबा करने के उद्धेश्य से ही हस्तगत अपीले प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के उपरांत वह विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से कोई हक–हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में एतराज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितंबर 2022 पारित किये जाना पाया जाता है। तत्पश्चात अपीलांट अनवरत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री की जानंकारी शुरूआत से ही रहना लाजमी है। फिर भी न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर मामले के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 484 रकबा 06 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 486 रकबा 11.13 बीघा, खसरा नंबर 492 रकबा 20.19 बीघा, खसरा नंबर 1151 रकबा 08.16 बीघा एवं खसरा नंबर 1151/1 रकबा 01.01 बीघा ग्राम बड़लानगर एवं खसरा नंबर 1180 रकबा 28.16 बीघा ग्राम केरली में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के राजस्व रेकर्ड में दर्ज क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपने काउंटर क्लेम में वादग्रस्त आराजी के बाई मिट्स एवं बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा है तथा विचारण न्यायालय द्वारा इसी अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03 जनवरी 2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार झंवर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 484 रकबा 06 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 486 रकबा 11.13 बीघा, खसरा नंबर 492 रकबा 20.19 बीघा, खसरा नंबर 1151 रकबा 08.16 बीघा एवं खसरा नंबर 1151/1 रकबा 01.01 बीघा ग्राम बड़लानगर एवं खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1180 रकबा 28.16 बीघा ग्राम केरली का विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में रखी गई भूमि तक आवागमन हेतु विधिनुसार रास्ते का प्रावधान रखा गया है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 अनवान जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सिंतबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-338RAAJodhpur2024-130RTA223 Budharam Vs Jagaram etc
2024-279RAAJodhpur2024-113RTA223 Budharam Vs Jagaram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
बुद्धाराम पुत्र कुम्पाराम जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर), तहसील झंवर, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. जगाराम पुत्र कुम्पाराम, जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर) तहसील झंवर, जिला जोधपुर। 2. गोरधनराम उर्फ गोरखराम पुत्र कुम्पाराम, जाति पटेल, निवासी– ग्राम बड़लानगर(झंवर) तहसील झंवर, जिला जोधपुर। 01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जि जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितंबर 2022, निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि

यह अपील बतारीख 20 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री अनिल राठी, अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2016 अनवान जगाराम बनाम बुद्धाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुतलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 20 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर